# डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(आ. 20 रू 6-7 जाब्ता दीवानी)

(civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी

व इजलास श्री प्रमोद कुमार R.A.S

**वादीगण**

1. बाबूलाल पुत्र चैनाराम
2. नरपतकुमार पुत्र चैनाराम नाबालिग नरपतकुमार की कुदरति वलि उसकी माता सीतादेवी पत्नी चैनाराम
   जाति कलबी निवासी हाजाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. चैनाराम पुत्र सवदाराम
   जाति कलबी निवासी हाजाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़मालानी जिला बाड़मेर

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 6 व 8 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम वास्ते खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा**

निर्णय दिनांक : 31/08/21

**प्रकरण संख्या :– 79/2020**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता वादीगण व हाजरी ... अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी पटवार हल्का भाखरपुरा में राजस्व ग्राम हाजाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 395, 423, 426, 442 रकबा क्रमशः 47–15, 68–10, 47–13, 4–12 बीघा एवं ग्राम मघा की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 724 रकबा 67–17 बीघा की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 चैनाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने का आदेश प्रदान किये जाते हैं। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31/08/21 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.14 16:21:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर SDO (गुड़ामालानी)

मुहर

( प्रमोद कुमार )

सहायक कलक्टर, (S.D.O.) गुड़ामालानी

सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी